सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| माघ 26, शनिवार, *शाके 1946*- फरवरी 15, 2025<br>*Magha 26, Saturday, Saka 1946- February 15, 2025* | |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**वन विभाग**

विज्ञप्ति

**जयपुर, जनवरी 08, 2024**

**संख्या प. 2(58)वन/2024 :-** चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहूंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरस्ट एक्ट, s1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि में या उन पर भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17 तथा 19 में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन और बंजर (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त उक्त की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज'पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

बीजो जॉय,

**विशिष्ठ शासन सचिव, वन।**

**(भूमि-भूमि और बंजर-वन)**

**प्रथम अनुसूची (वन- भूमि एवं बंजर- भूमि)**

| क्र. स. | नाम ब्लाक | नाम तहसील | नाम जिला | दिशावार सीमा विवरण | राजस्व ग्राम | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हैक्टर) | भूमि किस्म |
| 1 | करणीपुरा (ए) | बदनोर | भीलवाडा | उत्तर में सीमा ग्राम देवखडा मानागाग ला दक्षिण में खसरा नं. 247 पश्चिम में सीमा ग्राम चतरपुरा पूर्व में सीमा ग्राम मासीगपुरा | करणीपुरा | 1<br>109/598<br>11<br>12/588<br>121<br>122<br>126<br>129<br>130/583<br>153<br>163<br>17<br>2/575<br>23<br>24<br>247/574<br>258<br>274/577<br>35/591<br>37<br>52<br>53<br>55 | 131.42<br>0.07<br>1.25<br>0.12<br>4.82<br>0.18<br>0.11<br>0.08<br>0.08<br>0.79<br>0.11<br>0.06<br>0.10<br>1.06<br>0.84<br>0.73<br>1.62<br>0.97<br>0.06<br>0.06<br>0.53<br>0.07<br>0.20 | गेर पहाड<br>बारानी।<br>बजड<br>बारानी।।<br>गेमु. मगरी<br>गेमु. रास्ता<br>गेमु. रास्ता<br>बीड<br>बारानी।<br>बजड<br>गेमु. रास्ता<br>बारानी।।<br>बारानी।।<br>गेमु. मगरी<br>बजड<br>बजड<br>बजड<br>बीड<br>बारानी।।<br>बारानी।।<br>बीड<br>बीड<br>बीड |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 56<br>69/593<br>94 | 0.44<br>0.08<br>0.05 | बीड<br>बारानी।<br>बारानी। |
| | | | | | योग | | 145.9 | |

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**आसीन्द (मु. बदनोर)**

**उप वन संरक्षक,**
**भीलवाडा**

| क्र. स. | नाम ब्लाक | नाम तहसील | नाम जिला | दिशावार सीमा विवरण | राजस्व ग्राम | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हैक्टर) | भूमि किस्म |
| 2 | करणी पुरा (बी) | बदनोर | भीलवाडा | उत्तर में खसरा नं. 57<br>दक्षिण में खसरा नं. 74<br>पश्चिम में खसरा नं. 58 व 60<br>पूर्व में खसरा नं. 62 | करणी पुरा | 61 | 0.39 | बीड |
| | | | | | योग | | 0.39 | |

| क्र. स. | नाम ब्लाक | नाम तहसील | नाम जिला | दिशावार सीमा विवरण | राजस्व ग्राम | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | खसरा | क्षेत्रफल (हैक्टर) | भूमि किस्म |
| 3 | करणी पुरा (सी) | बदनोर | भीलवाडा | उत्तर में खसरा नं. 301<br>दक्षिण में खसरा नं. 312<br>पश्चिम में सीमा ग्राम चतरपुरा<br>पूर्व में खसरा नं. 365 | करणी पुरा | 311<br>312/568<br>314/569<br>300/571<br>373 | 2.33<br>0.21<br>0.25<br>0.05<br>0.06 | गेमु. मगरी बीड<br>गेमु. रास्ता बीड<br>बीड |
| | | | | | योग | | 2.90 | |

| क्र. स. | नाम ब्लाक | नाम तहसील | नाम जिला | दिशावार सीमा विवरण | राजस्व ग्राम | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हैक्टर) | भूमि किस्म |
| 4 | करणी पुरा (डी) | बदनोर | भीलवाडा | उत्तर में खसरा नं.467/573<br>दक्षिण में खसरा नं. 490<br>पश्चिम में खसरा नं. 438<br>पूर्व में खसरा नं. 469 | करणी पुरा | 467<br>468<br>482 | 1.23<br>0.93<br>0.08 | गेमु. मगरी बजड<br>गेमु. पाल |
| | | | | | योग | | 2.24 | |

**क्षेत्रीय वन अधिकारी** **उप वन संरक्षक,**
**आसीन्द (मु. बदनोर)** **भीलवाडा**

वन खण्ड - करणीपुरा (ए,बी,सी,डी)

**द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)**

| क्र.स. | वानस्पतिक नाम | हिन्दी नाम |
|---|---|---|
| 1 | *Acacia Leucophloea* | रोंझ |
| 2 | *Acacia nilotoca* | देशी बबूल |
| 3 | *Prosophis Juliflora* | विलायती बबूल |
| 4 | *Zizyphus Nummularia* | झड़ बेरी |

**क्षेत्रीय वन अधिकारी** **उप वन संरक्षक,**
**आसीन्द (मु. बदनोर)** **भीलवाडा**

**प्रमाण-पत्र**

वन खण्ड - करणीपुरा (ए,बी,सी,डी)

नाम रेन्जः- आसीन्द

वन मण्डलः- भीलवाडा

1. प्रारूप में दर्शायी गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में बारानी।, बारानी।।, गेमु. मगरी, गेमु. बंजड, बीड, गेमु. रास्ता होकर वन विभाग के नाम से दर्ज है। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अमल दरामद हैं। प्रस्तावित भूमि में पर आंशिक अतिक्रमण आवंटन से पूर्व के है एवं खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.20 तक का हैं, एवं इन क्षेत्रों में मुख्य रोंझ, देशी बबूल, विलायती बबूल, झड़ बेरी एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन हैं। तथा करणीपुरा ए में खसरा नं. 123, 124, 125 चक काश्त है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक हैं एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा हैं।
6. प्रस्तावित भूमियों का मानचित्र संलग्न हैं।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे। किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे हैं।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ हैं।

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**आसीन्द (मु. बदनोर)**

**उप वन संरक्षक,**
**भीलवाडा**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**